संख्या-160/2025/।/1173203/2025/ 71-1002(002)/9/2022

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 15 दिसम्बर, 2025

विषय:- केन्द्र सहायतित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में 30 पी0जी0 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष निर्गत शासनादेश दिनांक 16.06.2023 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/पी0एफ0एम0एस0/2025-26/249, दिनांक 10.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा केन्द्र सहायतित योजना (फेज-2) के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ तथा उरई, जालौन में पी0जी0 सीटों की वृद्धि के दृष्टिगत निर्माण/सिविल कार्य तथा उपकरण मद हेतु एस0एन0ए0 में रक्षित धनराशि से अधिक धनराशि निर्गत होने से अवगत कराते हुए आदेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-88/2023/।/333668/2023/71-1002/55/2023, दिनांक 16.06.2023 द्वारा केन्द्र सहायतित योजना (फेज-2) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में 30 पी0जी0 सीटों की वृद्धि हेतु विभागवार उपकरणों, फर्नीचर एंव स्किल लैब की सूची, लागत रू0 11,94,66,275.00 अनुमोदित करते हुए शासनादेश दिनांक 27.03.2023 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में 30 पी0जी0 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष महानिदेशक, चि0शि0 के निर्वतन पर रक्षित धनराशि कुल रू0 14.40 करोड़ में से रू0 5.00 करोड़ (राज्यांश) उपकरण/फर्नीचर/स्किल लैब के क्रय हेतु पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से एस0एन0ए0 खाते में हस्तान्तरित किये जाने की अनुमति कतिपय शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सहायतित योजना (फेज-2) के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में पी0जी0 सीटों की वृद्धि के दृष्टिगत महानिदेशक के निर्वतन पर केन्द्रांश के रूप में एस0एन0ए0 खाते में रक्षित धनराशि रू0 8.64 करोड़ के सापेक्ष निर्गत अधिक लिमिट/धनराशि रू0 6.9466275 करोड़ (केन्द्रांश) को समायोजित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-114/2025/।/1012734/2025/71-1002/19/2022 दिनांक 03.07.2025 (जिसके द्वारा उपकरणों के क्रय हेतु रू0 6.9466275 करोड़ (केन्द्रांश) की लिमिट निर्गत की गयी है) को निरस्त करते हुए शासनादेश दिनांक 16.06.2023 द्वारा उपकरणों के क्रय हेतु अनुमोदित धनराशि (रू0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11.9466275 करोड़) को संशोधित करते हुए रू0 10.7066275 करोड़ (11.9466275-1.24) के अंतर्गत उपकरणों के क्रय की अनुमति प्रदान की जाती है।

शासनादेश संख्या-88/2023/।/333668/2023/71-1002/55/2023, दिनांक 16.06.2023 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

<u>संख्या-उपर्युक्तानुसार/ तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़।
6. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।